प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 25.06.2024

- **जनपद में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे "जागते रहो अभियान" के तहत कानपुर देहात पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- **थाना बरौर पुलिस की कार्यवाही से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर शातिर अभियुक्त को चोरी की बाईक के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान "जागते रहो" के क्रम में थाना बरौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये मुखबिर खास की सूचना पर मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त अनिकेत कुशवाहा पुत्र शिशपाल सिंह निवासी बरौली थाना देवराहट कानपुर देहात को मय 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल नं0- UP 77 M 3682 डिस्कवर रंग काला जिसकी असली नम्बर प्लेट को अभियुक्त द्वारा बदल दिया गया था व 01 अदद अवैध देशी तमन्चा, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ ग्राम मुरादपुर से 200 मीटर बरौर की तरफ भट्टे के सामने से आज दिनांक 25.06.2024 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बरौर पर मु0अ0स0- 45/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. अनिकेत कुशवाहा पुत्र शिशपाल सिंह निवासी बरौली थाना देवराहट कानपुर देहात।

बरामदगी –

1. 01 अदद मोटरसाइकिल UP 77 M 3682 डिस्कवर रंग काला
2. 01 अदद अवैध देशी तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0- 44/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना बरौर कानपुर देहात।
2. मु0अ0स0- 45/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरौर कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना बरौर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह
2. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह
3. हे0का0 465 योगेन्द्र सिंह
4. का0 1025 कुलदीप कुमार